

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.11(13)नवि/टांटोटी(अजमेर)/2026-18470

जयपुर, दिनांक: यथा ई-हस्ताक्षर

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को टांटोटी (जिला अजमेर) के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष-2047 तैयार करने हेतु नियुक्त करती है :-

क्र. स.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	तहसील का नाम
1	टांटोटी	Tantoti	टांटोटी
2	केशरपुरा	Kesharpura	टांटोटी
3	पीपरोली	Peeproli	टांटोटी
4	गुदालिया	Gudaliya	टांटोटी
5	मोतीपुरा	Motipura	टांटोटी
6	कैबानिया	Kebaniya	टांटोटी
7	कल्यानपुरा	Kalyanpura	टांटोटी
8	चान्दमा	Chandma	टांटोटी
9	सराना	Sarana	टांटोटी
10	धांतोल	Dhantol	भिनाय
11	राममालिया	Rammaliya	भिनाय

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलक्टर, अजमेर।
- मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन अजमेर।
- अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, टांटोटी जिला-अजमेर।
- अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
- रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Ravi Vijay
Secretary To Government
Date :23-09-2026 05:31:04

RajKaj Ref No.:
24650141